

**प्रधानमंत्री मोदी जी के 71 वें जन्म दिवस पर विधायक श्री काश्यप ने किया पौधा रोपण
तीन स्थानों पर विभिन्न प्रजातियों के 71 पौधों का किया रोपण**

रतलाम 17 सितम्बर । प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र जी मोदी के 71 जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितम्बर से 7 अक्टूबर चलाये जा रहे जन कल्याण और सुराज अभियान के तहत विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया व निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों ने श्री कालिका उद्यान में पौधारोपण किया।

17 सितम्बर को प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र जी मोदी के 71 वें जन्म दिवस पर पर्यावरण संरक्षण हेतु नगर के तीन स्थानों पर पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित कर विभिन्न प्रजातियों के 71 पौधों का रोपण किया गया।

श्री कालिका माता उद्यान में विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों ने 15 बॉटल पॉम के पौधों का रोपण किया। इसी तरह मुखर्जी नगर स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित एमआईजी फ्लेट बिल्डिंग परिसर के उद्यान में व डोसी गांव में निर्मित एलआईजी, बिल्डिंग परिसर स्थित उद्यान में बॉटल पॉम, करंज, गुडहल, जामुन, आम, जाम आदि प्रजातियों के 56 इस तरह कुल 71 पौधों का रोपण किया गया।

इस अवसर पर पूर्व निगम अध्यक्ष श्री अशोक पोरवाल, पूर्व महापौर परिषद सदस्य एवं पाषद सर्वश्री भगतसिंह भदौरिया, मंगल लोढ़ा, गोविन्द काकानी, रणजीतसिंह परिहार, पप्पू पुरोहित, मोहम्मद सलीम मेव, रवि जौहरी के अलावा सर्वश्री प्रदीप उपाध्याय, आदित्य डागा, नीलेश गांधी, सुनील सारस्वत, मयूर पुरोहित, राकेश परमार, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल, श्री मोहम्मद हनीफ शेख, उपयंत्री श्री अरविन्द दशोत्तर, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मेन्द्र दोगाया, श्री अनिल पारा आदि उपस्थित थे।

**प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित दुकानों के निविदाकारों को निगम आयुक्त श्री
झारिया ने दुकान आवंटन के सूचना पत्र प्रदान कर मुंह मीठा कराया
तय समय सीमा में संपूर्ण राशि जमा कराने पर अगले कार्य दिवस में संपादित होगी रजिस्ट्री**

रतलाम 17 सितम्बर । प्रधानमंत्री आवास योजना के एएचपी घटक के अन्तर्गत डोसीगांव में निर्मित दुकानों के ऑन लाईन विक्रय हेतु आमंत्रित निविदा के माध्यम से उच्च दर वाले निविदाकारों को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने आमंत्रित कर उन्हें आवंटन सूचना पत्र प्रदान किये तथा मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया।

इस अवसर पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निविदाकारों को बताया कि उन्हें स्वीकृत निविदा राशि की 25 प्रतिशत राशि सूचना पत्र तामिली से 21 दिवस में व शेष राशि सूचना पत्र तामिली से 120 दिवस के अन्दर जमा कराना होगी। तय समय सीमा में संपूर्ण राशि जमा कराने के अगले कार्य दिवस में उनकी रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से संपादित कराई जावेगी। उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई निविदाकार संपूर्ण राशि तय सीमा के पहले जमा करा देता है तो उसकी रजिस्ट्री भी अगले कार्य दिवस में संपादित कराई जावेगी। स्टेट बैंक के झोनल मैनेजर श्री सिंह ने इस अवसर पर निविदाकारों को ऋण उपलब्ध कराये जाने के संबंध में जानकारी दी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने दुकान क्रमांक ई/3 हेतु जितेन्द्र—हुकमचन्द, ई/4 हेतु जितेन्द्र—हुकमचन्द, एफ/1 हेतु शांतिलाल—नानूराम चौहान, एस/1 हेतु रविराज—विक्रमसिंह राजावत, एस/2 हेतु श्रीमती रेणुका—विजय जैन, एस/3 हेतु आशा—शरद लोढ़ा, एस/4 हेतु टोडरमल एण्ड सन्स संतोष कुमार, एस/5 हेतु वर्षा—महेशचन्द्र लोढ़ा, एस/7 हेतु

ममता-नरेन्द्र पुरोहित, एस/8 हेतु मनोज-विनोद कुमार पाटगवाल, एस/9 हेतु रमणलाल-बाबुलाल पालीवाल, एस/10 हेतु हितेश-सुभाषचन्द्र शर्मा व एस/16 हेतु शिवनाथ-अर्जुनसिंह बघेल को दुकान आवंटन का सूचना पत्र प्रदान किया व मिठाई खिलाकर मंह मीठा करवाया।

इस अवसर पर कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, श्री सत्यप्रकाश आचार्य, सहायक वर्ग-2 श्री बी.एल. चावरे सहित निविदाकार उपस्थित थे।

प्रभारी सहायक यंत्री श्री एम.के. जैन को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम 17 सितम्बर । नगर क विभिन्न क्षेत्रों में स्ट्रीट लाईटें बंद पाये जाने व बन्द लाईटों की निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रतिदिन प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा प्रभारी सहायक यंत्री एवं प्रभारी प्रकाश विभाग श्री एम.के. जैन को एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा श्री जैन को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी टीम के साथ प्रतिदिन सांय 06:00 बजे से 09:30 बजे तक शहर में भ्रमण कर प्रकाश व्यवस्था चेक करें व भ्रमण व बंद लाईटों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन प्रस्तुत करें किन्तु श्री जैन द्वारा प्रतिदिन भ्रमण ना करने व जानकारी प्रस्तुत नहीं करने तथा 16 सितम्बर को शहर के अनेक क्षेत्रों में लाईटे बंद पाई जाने पर एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन 17 सितम्बर को 87 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 17 सितम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 17 सितम्बर शुक्रवार को 87 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

17 सितम्बर शुक्रवार को डम्पर से 39465, ट्रेक्टर से 8865 व काम्पेक्टर सूखा कचरा 38860 किलो इस तरह कुल 87190 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही 15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 17 सितम्बर । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निमाण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हें तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर 13 सितम्बर सोमवार से प्रारंभ कर प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

1352 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 17 सितम्बर । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निदेशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालकों द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 17 सितम्बर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 1352 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 17 सितम्बर को नगर के विभिन्न क्षेत्रों से 5 मवेशियों को निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रतलाम 17 सितम्बर। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मशीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 05:30 से 08:00 बजे तक व शाम को 06:00 से रात 10:00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक-एक हैण्ड स्प्रे मशीन से भी कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

1261 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 17 सितम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 10,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 2696 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें से 1549 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 1241 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु, राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु

58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें से 51 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 24 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ विक्रेताओं से अपील की जाती है कि जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10,000/- का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी राशि रूपये 10,000/- का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है व जमा करा दिया है वे द्वितीय कार्यशील पूंजी राशि रूपये 20,000/- का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु नगर निगम के ज्ञोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 17 सितम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 17 सितम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व ज्ञोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित ज्ञोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व ज्ञोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो ज्ञोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 17 सितम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/17.09.2021/न.पा.निगम, रतलाम.